न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 38/2022

1 गोरधन सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति जाट निवासी गढ़वालों की ढाणी तन भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

अपीलांट

बनाम

1 जाकिर हुसैन पुत्र मुराद अली खां, जाति कायमखानी मुसलमान निवासी नुआ तहसील व जिला झुन्झुनू।
2 अब्बास पुत्र स्व. यासीन जाति काजी मुसलमान निवासी नुआं तहसील व जिला झुन्झुनू।
3 अलाबन्दी पुत्री श्री स्व. यासीन जाति काजी मुसलमान निवासी नुआं तहसील व जिला झुन्झुनू हाल पत्नी जमाल शाह निवासी वार्ड नम्बर 10 हाजी अशरफ अली शाह दरगाह मण्डावा तहसील व जिला झुन्झुनू।
4 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 22.03.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू उनवानी जाकिर हुसैन बनाम अब्बास वगै मु.नं. 138/2017 दावा बाबत विभाजन घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री अशोक कुमार बेरवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 138/2017 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 65/701 रकबा 0.13 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम नुंआ तहत पुरानी तहसील झुन्झुनू वर्तमान तहसील मण्डावा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त जमीन के बाबत विभाजन, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया उक्त वाद पत्र को विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की गैर मौजुदगी में दिनांक 22.03.2022 को निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने वरवक्त बहस प्रकरण रिमांड करने पर सहमति व्यक्त की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर